राजेन्द्र बनाम [illegible]

156/2024

22/7/24

पत्र ... आज ... कार ... अन्य ... पूर्वानुसार ... पेश ... न्यायिक ... साक्ष्य ... पत्रावली

23/7/24

23/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण
वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।
प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर इन्द्राज
रजिस्टर बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 156/2024
निर्णय दिनांक : 23.07.2024

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह निवासी डी 2/388, चित्रकूट योजना, चित्रकूट स्टेडियम के पास वैशाली नगर, जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. चतुर्भूज पुत्र सूरजकरण, सा. शंकरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर
2. ज्यानादेवी पत्नि रामचन्द्र, सा. शंकरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर
3. नानूलाल पुत्र सूरजकरण, सा. शंकरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर
4. मित्रपालसिंह पुत्र रामेश्वर, सा. शंकरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर
5. मोहनलाल पुत्र रामकरण, सा. अवानियाँ, हाल. देह,
6. राधा पुत्री परसराम, सा. शंकरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर
7. रामदयाल पुत्र परसराम, सा. शंकरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर
8. रामसहाय पुत्र हरला, सा. अवानियाँ, हाल. देह,
9. रामसहाय पुत्र राधाकिशन सा. अवानियाँ, हाल. देह,
10. रामा पुत्री परसराम, सा. शंकरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर
11. सूज्या पुत्र रामकरण, सा. अवानियाँ, हाल. देह,
12. सुनिता पुत्री परसराम, सा. शंकरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर
13. सुनीता पत्नि मित्रपाल, नि. 62, बीचला बास, ग्राम–शंकरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर
14. सोन्या पुत्र हरला, सा. अवनिया, हालत शरीर,
15. हरसहाय पुत्र राधाकिशन, सा. अवानियाँ, हाल. देह,
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
17. राजस्थान सरकार के माध्यम से उप तहसीलदार, बगरू तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी 128 भूराजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि कब्जे काश्त की खाता संख्या पुराना 1426 व नया 195, खसरानं. 2816 रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि ग्राम बगरू कलां, पटवार हल्का बगरू कलां ए व बी अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी तहसीलदार व उप तहसीलदार महोदय से अपनी खातेदारी के खसरा नं. खाता संख्या पुराना 1426 व नया 195, खसरान 2816 रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि ग्राम बगरू कलां, पटवार हल्का बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमा ज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का सीमा ज्ञान खसरा नं. खाता संख्या पुराना 1426 व नया 195, खसरानं. 2816 रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि ग्राम बगरू कलां, पटवार हल्का बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमा ज्ञान तहसील कर्मचारियों द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सीमा चिह्न एवं मौक चिह्नीकरण मौका रिपोर्ट तैयार की गई जो भविष्य में चिह्न समाप्त हो सकते है। ऐसी स्थिति में पत्थरगढी की जाकर स्थाई सीमा चिह्न अंकित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 जो कि पडौसी खातेदार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 15 के उक्त खसरा नं. 2816 रकबा 1.6400 हैक्टेयर के उत्तरी सीमा के खसरा नं. 2830 रकबा 0.2100 हक्टेयर, खसरा नं. 2831 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नं. 2846 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नं 2847 रकबा 0.1600 हैक्टेयर व खसरा नं. 2848 रकबा 0.3000 है जिनके खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 लगातय 15 है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 जो कि पडौसी खातेदार होने से भविष्य में सीमा चिह्नों का विवाद न हो इस हेतू प्रार्थी सीमा विवाद से हमेशा के लिए छुटकारा पाने बाबत् अपने खसरा नं. 2816 रकबा 1.6400 हैक्टेयर की शांतिपूर्वक पत्थरघडी व बाउंड्रीवॉल करवाना चाहते है एवं अपनी भूमि की सीमाओं का स्थाई रूप से निर्धारण करवाना चाहते है जिससे भविष्य में कोई विवाद नहीं है जिससे भविष्य में शांति व्यवस्था कायम रहे। इस हेतु पुलिस इमदाद भी दिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है जिससे मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। ऐसी स्थिति में न्याय हित में प्रार्थी को उक्त खातेदारी की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है। सीमा ज्ञान के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी व बाउंड्रीवॉल करवाना चाहते है जिसके बाबत् आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। सीमा ज्ञान की कार्यवाही दिनांक 4.5.2023 को हुई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं नक्शा एवं नामांतकरण, पडौसी खातेदारान की जमाबंदी व टोपोग्राफिकल एवं डीजीपीएस सर्वे मेप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी के अन्य पडौसी जिनके खसरा नं. 2817, 2815, 2888 व 2887 जो कि पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा व पूर्व दिशा में है से कोई विवाद नहीं होने के फलस्वरूप पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 खातेदार व सहखातेदार होने के फलस्वरूप पडौसी काश्तकार होने से अप्रार्थीगण से मूल रूप से सीमा विवाद होने से पक्षकार बनाये गये है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 2816 रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि ग्राम बगरू कलां, पटवार हल्का बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की पत्थरगढी किये जाने के बाबत् अप्रार्थी संख्या 16 व 17 को आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा मौके पर पत्थरगढी व बाउंड्रीवॉल के समय विवाद होने की संभावना को रोकने पाद छोड़ना के लिए जरिए पुलिस इमदाद पत्थरगढी किये जाने के आदेश करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से यू.टी. पेश की। दिनांक 15.07.2024 को पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से यू0टी0 पेश हुई, प्रतिवादी [illegible] वकील अनुपस्थित, शेष प्रतिवादी/अप्रार्थी को कराई तलबी डाक [illegible] रसीदे व ट्रेक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण [illegible] प्राप्त हो चुकी है। अतः अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपस्थित प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि पर अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर पडौसी खातेदारों एवं उभयपक्षकारान को नियमानुसार सूचित कर सभी की उपस्थिति में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 2816 रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि ग्राम बगरू कलां, पटवार हल्का बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की पत्थरगढी नाबय तहसीलदार, उप–तहसील बगरू से प्राप्त फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 04.05.2023 के अनुसार कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:56 IST
Reason: SelfAttested